# अनुमण्डलीय न्यायालय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

## टी0एस0 सं0–152 / 2008

**15.01.2024**

उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–12.06.2019 एवं उक्त आवेदन के आलोक में प्रतिवादी के तरफ से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–10.07.2019 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

## आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्राथी वादी ने अपने कागजी सबूत के रूप में बिहार सरकार योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी असल मृत्यु प्रमाण पत्र जिसका पत्रांक–499710 दिनांक–03.10.2016 दाखिल किया है जो एक लोक दस्तावेज के श्रेणी में आता है जिसे प्रार्थी मुदई की ओर से प्रदर्श होना निहायत आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि मुदई के तरफ से उपरोक्त कागजात को लोक दस्तावेज के रूप में प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाए।

प्रतिवादी के तरफ से दाखिल प्रतिउत्तर पर उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी ने दिनांक–12.06.2019 को प्रदर्श अंकित करने का आवेदन दिया है जिसका तरदीद प्रतिवादी ने दिनांक–27.06.2019 को दिया है। वाद पत्र के पारा नंबर 4 में पहले विलट कोईरी के मरने का साल 1990 सही दर्ज किया था लेकिन उक्त प्रमाण पत्र जिसे प्रदर्श अंकित कराना चाहता है जिसमें में विलर कोईरी का मृत्यु की तिथि 18.09.1990 अंकित था उसे ओभर राइटिंग कर उसे 1976 बना दिया है। जिसकी सत्यता की जांच हेतू उक्त रजिस्टर का न्यायालय में आना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि सत्यता की जॉच हेते मूल रजिस्टर को कॉल फार किया जाए ताकि सही मृत्यु की तिथि की जानकारी हो सके।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किए गए आपत्ति के आलोक में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विलट कोईरी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है उससे संबंधित रजिस्टर की मांग किया गया था पंचायत सचिव कसिया न्यायालय में उपस्थित होकर विलट कोईरी के मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित मूल रजिस्टर की छाया प्रति दाखिल किया। जिसके अवलोकन से विलट कोईरी के मृत्यु प्रमाण की तिथि 18.09.1976 लिखा गया है। उक्त रजिस्टर के प्रति के अवलोकन से किसी प्रकार की ओभर राईटिंग मृत्यु तिथि में नहीं किया गया है लेकिन वादी के द्वारा प्रस्तुत विलट कोईरी के मूल प्रमाण पत्र जिसमें

मृत्यु की तिथि में ओभर राईटिंग किया गया है। जिसमें उनकी मृत्यु की तिथि 18.02.1976 लिखा गया है साथ ही जहां ओभर राईटिंग किया गया है वहां पर पंचायत सचिव का लधु हस्ताक्षर भी किया गया है। ऐसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित मृत्यु तिथि को गलत करार नहीं दिया जा सकता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त विलट कोईरी के मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक उक्त दस्तावेज को नियमानुकूल प्रदर्श अंकित करे।

दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

(रघुबीर प्रसाद)
सब जज–तृतीय